2019/0002 2019/0012

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2019 (अपील)

उनवान

भेरूलाल आत्मज गोरधन जाति रेगर निवासी बागडस्या
तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी मोडक, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री रामचरण मीणा (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 30.04.2013 मिसल नम्बर 136/2013
न्यायालय सहायक वन संरक्षक,कोटा केम्प रेन्ज मोडक, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 03.10.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का वनखण्ड **मोईखुर्द** ग्राम **बागडस्या** के खसरा नम्बर **175,190** की **0.65** व **0.15** हैक्टयर भूमि पर हंकाई जुताई कर सरसों की फसल कर अतिक्रमण किया जाना बताया है । अदालत मातहत ने क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी के आरोप मे 2000/–रूपये तावान कायम कर दिया तथ कब्जा नही संभलाने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा से सजायाब किया है । अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिता मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय है । अदालत मातहत ने आसपास के काश्तकारों की शहादत लिये बिना व मौका मुआवना किये बिना केवल मात्र नाका प्रभारी के बयानों को आधार

मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने मे त्रुटि की है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने मे त्रुटि की है । अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माना जमा कर दिया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे एक तरफा निर्णय पारित किया है । हुक्म जेर अपील का ज्ञान अपीलान्ट को सर्व प्रथम दिनांक 15.01.2019 को पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफतार करने गांव मे अपने पर व हुक्त जेर अपील के बाबत बताने पर हुआ इस पर दिनांक 16.01.2019 को अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.01.2019 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई और नकल लेकर अपने गांव चला गया और रकम का इन्तजाम कर आज यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है । साथ मे प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.04.2013 से 15.01.2019 एवं नकल के दिन तथा अपील खर्चे हेतु रूपयों का इन्तजाम करने मे लगे दिन को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.04.2013 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का वनखण्ड **मोईखुर्द** ग्राम **बागडस्या** के खसरा नम्बर **175, 190** की **0.65** व **0.15** हैक्टयर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है।" रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन एंव पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने का तथ्य स्वीकार करने से यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न बयान से उसका विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्व होता है ।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंन्ध में एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा । शेष आदेश यथावत रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा